न्यायालय सत्र न्यायाधीश, रमाबाई नगर (कानपुर देहात)।

जमानत प्रार्थना पत्र सं०–१७७३/२०१६

सुनील उर्फ पुत्तन पुत्र मानसिंह ,

वर्तमान पता वार्ड नं०–३ सिंहपुर बुद्ध नगर, झींझक, थाना मंगलपुर, जिला कानपुर देहात एवं ठाकुर प्रसाद का पुरवा, थाना सचेंडी जिला कानपुर नगर । ....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राज्य उ०प्र०

सत्र परीक्षण सं०–३५७/२०१२

अपराध सं०–२९८/२०१२

धारा–३६३,३६६,३७६ भा०दं०सं०

थाना–मंगलपुर, जिला–कानपुर देहात।

प्रार्थी/अभियुक्त सुनील उर्फ पुत्तन द्वारा सत्र परीक्षण सं०–३५७/२०१२, सम्बन्धित अपराध सं०–२९८/२०१२, अन्तर्गत धारा–३६३,३६६,३७६ भा०दं०सं०, थाना–मंगलपुर, जिला–कानपुर देहात के मामलें में जमानत के लिए प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है ।

अभियोजन के अनुसार तथ्य इस प्रकार है कि वादी मुकदमा रामलखन पुत्र भजनलाल द्वारा दिनांक–३१.०७.२०१२ को एक लिखित तहरीर थाना मंगलपुर जिला कानपुर देहात में इस आशय की दी गयी कि उसकी नाबालिग पुत्री कु० पूजा उम्र १७ वर्ष दिनांक–२८.०७.२०१२ को सुबह लगभग ८.०० बजे राम रतन बालिका इण्टर कालेज झींझक में पढ़नें के लिए घर से निकली और उसी समय ग्राम का ही निवासी सुनील उर्फ पुत्तन जोकि अपने जीजा राजेन्द्र कुमार के यहां रहता है , उक्त व्यक्ति सुनील उसकी पुत्री पूजा को बहला फुसला कर ले गया है । उक्त प्रकरण में पूजा स्कूल के बहाने घर से निकली और साथ में एक सोने की चेन, एक जोड़ी झुमकी , सोने की एक बेसर, दो अंगूठी , एक जोड़ी चांदी की पायल एवं नगद ८५,०००/–रूपये अपने साथ ले गयी । उक्त घटना को अंजाम देने में सुनील के जीजा राजेन्द्र व पप्पी पत्नी राजेन्द्र एवं प्रताप सिंह की सहभागिता है । वादी पेशे से पशु व्यापारी है । पूजा की काफी खोज की परन्तु कोई सुराग न मिल सका । उक्त तहरीर के आधार पर सम्बन्धित थाने में यह अभियोग दिनांक–०१.०८.२०१२ को समय १०.३० बजे अन्तर्गत धारा–३६३,३६६ भा०दं०सं० पंजीकृत हुआ तथा दौरान विवेचना दिनांक–१४.०८.२०१२ को पीड़िता की बरामदगी के उपरान्त उसके बयान के आधार पर मामलें में धारा–३७६ भा०दं०सं० की बढोत्तरी की गयी ।

मैंने अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के तर्को को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क किया गया है कि उसे उपरोक्त मुकदमें में झूठां फसां दिया गया है , जबकि वह पूर्णतया निर्दोष है । यह भी तर्क किया गया है कि पीड़िता एवं वादी के बयान एक दूसरे के विरोधाभासी है । यह भी तर्क किया गया है कि पीड़िता प्रार्थी/अभियुक्त की पड़ोसी है तथा उसका प्रार्थी/अभियुक्त के घर आना जाना है , उसने पीड़िता को बहला फुसला कर नही ले गया है न ही उसके रूपये ही लिये है । यह भी तर्क किया गया है कि पीड़िता एवं प्रार्थी/अभियुक्त की बहन के मध्य गहन मित्रता थी, जिस कारण पीड़िता अक्सर प्रार्थी/अभियुक्त के घर आती जाती थी । यह भी तर्क किया गया है कि दिनांक–२८.०७.२०१२ को प्रार्थी/अभियुक्त अपने रिश्तेदारों के साथ आगरा जा रहा था, रास्ते में पीड़िता उसे मिली थी , जिससे बातचीत के उपरान्त पीड़िता ने प्रार्थी/अभियुक्त से विशेष निवेदन आगरा ले चलने का किया था , जिस पर प्रार्थी/अभियुक्त उसे अपने साथ आगरा ले गया था । यह भी तर्क किया गया है कि चिकित्सकीय परीक्षण में पीड़िता की आयु १९ वर्ष होना निर्धारित किया गया है तथा पैथालाजी रिपोर्ट

के कोई भी जीवित या मृत शुक्राणु नहीं पाये गये है , न ही पीड़िता के प्राइवेट पार्ट पर कोई चोट के निशान पाये गये है । यह भी तर्क किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है । इन स्थितियों में प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाना न्यायोचित होगा ।

राज्य सरकार की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौ० द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त की कथित भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाना चाहिए ।

प्रस्तुत प्रकरण में घटना दिनांक–२८.०७.२०१२ को समय करीब ८.०० बजे सुबह की होना कही गयी है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट परिवादी द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर सम्बन्धित थाने में दिनांक–०१.०८.२०१२ को धारा–३६३,३६६ भा०दं०सं० पंजीकृत हुयी है । अभियोजन के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री उम्र १७ वर्ष को बहला फुसला कर भगा ले जाना कहा गया है तथा दौरान विवेचना पीड़िता को पुलिस द्वारा दिनांक–१४.०८.२०१२ को बरामद किया गया तत्पश्चात उसके बयान के आधार पर मामलें में धारा–३७६ भा०दं०सं० की बढ़ोत्तरी की गयी है । दौरान विवेचना विवेचक द्वारा लिये गये बयान अन्तर्गत धारा–१६१ दं०प्र०सं० के अधीन पीड़िता द्वारा यह कथन किया गया है कि दिनांक–२८.०७.२०१२ समय करीब ८.०० बजे सुबह वह टयूशन पढ़ने के लिए जा रही थी कि रास्ते में उसे सुनील उर्फ पुत्तन मिला तथा उससे कहा कि चलों तुमकों आगरा का ताजमहल दिखा लाऊ तथा मथुरा , वृन्दावन आदि जगह घुमाऊंगा, वह सुनील के बहकावे में आ गयी तथा उसके साथ चली गयी, सुनील द्वारा उसे ले जाकर घुमाया फिराया और शादी का बहाना करके उसके साथ मना करने पर भी गलत काम किया । दिनांक–२८.०७.२०१२ से दिनांक–१४.०८.२०१२ तक रोज उसके साथ उसे डरा धमका कर गलत काम करता रहा । आज उसे रीवा ट्रेन से लेकर रेलवे स्टेशन झींझक पर छोड़ने के लिए सुनील कुमार उसके साथ आया था और उसे छोड़कर वह यहां से भागने वाला था कि पुलिस ने पकड़ लिया । पीड़िता की उम्र माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा वर्ष २०११ के अनुसार जन्मतिथि २२.१०.१९९३ अंकित है , जिसके अनुसार उसकी उम्र घटना के समय लगभग १९ वर्ष है तथा चिकित्सकीय परीक्षण के अनुसार भी उसकी उम्र १९ वर्ष होना निर्धारित है । पीड़िता द्वारा न्यायालय के समक्ष भी विचारण के दौरान बतौर पी०डब्लू०–२ अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है । अतः मामलें के सम्पूर्ण तथ्य, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मै इस विचार का हूँ कि जमानत का कोई उचित आधार नहीं है। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है ।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है ।

दिनांक–०६.०९.२०१६

(शशि कान्त शुक्ल)
सत्र न्यायाधीश
रमाबाई नगर (कानपुर देहात)